

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश


क्रमांक स्था.2/ सी/व्या/79/09/1236

भोपाल, दिनांक 3/10/09

// संशोधन आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था-2/ सी/व्या/79/1201-02 दिनांक 26.9.09 के सरल क्रमांक 2 पर अंकित श्री अशोक कुमार तिवारी व्याख्याता गणित की वर्तमान पदस्थापना कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड जिला भिण्ड अंकित हैं। उक्त वर्तमान कार्यरत संस्था कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड के स्थान पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना पढा जावे।

2/ शेष आदेश यथावत रहेगा।

  
महायक संचालक


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 3/10/09

पृष्ठा. क्रमांक स्था.2/सी/व्या/79/09/1237

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, ज्ञान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला सतना/भिण्ड/सिवनी/बुरहानपुर/खण्डवा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सतना/भिण्ड/सिवनी/बुरहानपुर/खण्डवा।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय रीवा/जबलपुर/इन्दौर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला भिण्ड/सिवनी/बुरहानपुर/खण्डवा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड/सिवनी/बुरहानपुर/खण्डवा की ओर अग्रहित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले की स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधितों को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
सहायक संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश